

विचार बिन्दु

कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। इसलिए हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। –विनोबा

एसएमएस अस्पताल हादसे से लोगों में गुस्सा: आपराधिक लापरवाही के असली जिम्मेदार कौन ?

देश के बड़े अस्पतालों में शुमार राजधानी जयपुर के सरकारी अस्पताल स्वाई मान सिंह (SMS) के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में रविवार रात करीब सवा ग्यारह बजे भीषण आग लग गई, जिससे 6 गंभीर मरीजों की मौत हो गई। अब तक 8 जनों की मौत होने का समाचार है जबकि कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद वार्ड में फैले धुएँ और जहरीली गैसों की भयावहता के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो ने से प्रदेश के लोग भयाक्रांत है। लोगों का कहना है राज के नाक के नीचे के अस्पताल की दुर्व्यवस्था देखकर प्रदेश के जिलों में अस्पतालों की व्यवस्था का सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। भीषण दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से बात की। सरकार ने आग के कारणों, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और अपातकालीन प्रतिक्रिया की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमिटी गठित की है। इस कमिटी की अध्यक्षता मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर इकबाल खान करेंगे और यह जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। हादसे के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कहीं आग लग रही है, तो कहीं छत गिर रही है, यह क्या हो रहा है सरकारी इमारतों में? अदालत ने 9 अक्टूबर तक सभी जर्जर भवनों की मरम्मत का रोडमैप पेश करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार ने अग्नि दुर्घातिका में प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसी बीच राज्य सरकार ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी, ट्रौमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया है एवं एसएमएस में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, फायर सेफ्टी के लिए नियोजित एजेंसी एस्के इलेक्ट्रिक कम्पनी की निविदा निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार सवेरे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता घटना स्थल पर पहुंचे। इसी के साथ सियासत भी शरू हो गई। विपक्षी नेताओं सहित लोग पूछ रहे है आखिर आग कैसे लगी और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है।

अस्पताल सूत्रों ने बताया समय समय पर विभिन्न व्यवथाओं में सुधार के लिए उच्चाधिकारियों को मौखिक और लिखित में जानकारी दी गई थी मगर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हादसे से दो दिन पहले ही ट्रौमा सेंटर ईंचार्ज ने अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर चेताया था कि छत पर चल रहे ऑपरेशन थियेटर के निर्माण के काम से बिजली के पैनल क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। इसका मतलब आईने की तरह साफ है कि ट्रौमा सेंटर का ओटी कॉम्पलेक्स जिसमें आईसीयू है वह एक महीने से हादसे के इंतजार में था। ओटी कॉम्लेक्स में करंट दौड़ रहा था। पानी टपक रहा था। दीवारे गौली हो रही थी। बिजली पैनल में पानी जाने से करंट आने लगा। कहा जा रहा है कि यह पानी बिजली के बोर्ड में गया होगा जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ।

यह भी कहा जा रहा है ट्रौमा सेंटर की बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं है, इसके बावजूद इतनी बड़ी और भयावह दुर्घटना से कई सवाल उठना लाजिमी हैं। पारदर्शी, जनप्रिय और संवेदनशील होने का दावा करने वाली सरकार से लोग पूछ रहे है कि व्यवस्था बदहाल थी तो जिम्मेदारों ने समय पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वारिश में पानी भरने, पलस्टर उखड़ने, वायरिंग जलने आदि की आम शिकायतें तो मीडिया की सुर्खियां आये दिन बनती रहती है। ट्रौमा सेंटर में आग पर काबू पाने के पर्याप्त संसाधन ही नहीं थे। अगर फायर फायरिंग सिस्टम आईसीयू के पास पर्याप्त संख्या में होते तो आग पर तुरंत काबू पाया जा सकता था। यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि फायर सेफ्टी की समय समय पर जाँच क्यों नहीं की गई। फायर सेफ्टी का ट्रायल कब हुआ था? किसे ट्रेनिंग दी गई थी। कागजी कार्यवाही कर कहीं खानापुर्ति तो नहीं की गई। हालाँकि ये सब अब जाँच रिपोर्ट से ही खुलासा होगा।

पुलिस के उच्च सूत्रों के मुताबिक, “प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट ही आग का कारण लगता है, लेकिन फॉरेंसिक साईंस लैब (FSL) की जांच के बाद ही आग के सटीक कारण का पता चलेगा। आग स्टोर रूम से शुरू हुई, जहां कागज, मेडिकल उपकरण और ब्लड सैपल ट्यूब्स रखे थे, जो जल्दी भड़क उठे। अस्पताल प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया है, साथ ही अधिकारियों का कहना है कि अंतिम कारण की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। मिली जानकारी के अनुसार ट्रौमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर दो ICU हैं – ट्रौमा ICU में 11 और सेमी ICU में 13 मरीज भर्ती थे। ट्रौमा में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो तेजी से फैली और जहरीली गैसें निकलने लगीं। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 2 महिलाओं सहित 8 जनों की मौत हो गई। बताया जाता है अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के तीमारदारों ने मरीजों को बाहर निकाला। सूचना मिलने के बाद दमकलकर्मों मौके पर पहुंचे और दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी परिजनों का कहना है, ICU शॉर्ट सर्किट में आग निकलने से पहले धुंवा निकलने लगा था, इसकी जानकारी वहां उपस्थित अस्पताल स्टाफ को दी गई मगर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। बाद में आग फैलते ही मौजूदा स्टाफ रफूचक्कर हो गया। परिजन अपने-अपने मरीजों को निकालने में जुट गए, उनमें कुछ को सफलता मिली और कुछ जहरीले धुंवे के शिकार हो गए। भयावह अफरा तफरी में लोग सड़कों पर मरीजों को लेकर आये जिनमें कुछ की तबियत उपचार नहीं मिलने से खराब हो गई।”

मृतकों के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक परिजन पूरन सिंह ने बताया, “स्पाक लगते ही सिलेंडर के पास आग लग गई। धुआं पूरे ICU में फैल गया, सब भागने लगे। कुछ लोग अपने मरीजों को बचा ले गए, लेकिन मेरा मरीज अकेला रह गया। डॉक्टर, कंपाउंडर और अन्य स्टाफ के लोग भाग गए, किसी ने कोई मदद नहीं की। अन्य परिजनों ने भी इससे मिलती-जुलती जानकारी दी। परिजनों का आरोप है, फायर अलार्म नहीं बजा और सेफ्टी उपाय पूरी तरह नाकाफी थे।”

इस हादसे से सबक लेकर प्रदेशभर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी उपकरणों की जाँच शुरू हो गई है। कई अस्पतालों में मौक डिल की गई है। सभी व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरस्त किया जा रहा है। ध्यान देने की बात यह भी है कि अस्पतालों सहित प्रदेशभर की सरकारी इमारतों में समय-समय पर विद्युत रखरखाव की निगरानी, पर्यवेक्षण की कोई सुचारु व्यवस्था नहीं है। एसएमएस हादसे के बाद सभी सम्बध सरकारी विभागों में खलबली मची है और उन्होंने सतर्क होकर अपने-अपने जिम्मे विभिन्न कार्यों की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। सरकार ने भी देरी से ही सही विद्युत निरीक्षकों से तत्सम्बन्धी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही व्यवस्था प्रभारी और अधीनस्थ अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद भी उच्चाधिकारियों द्वारा कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं करने की जांच भी की जा रही है। लोगों का कहना है यदि निष्पक्ष जाँच होती है तो कई जिम्मेदार नपेंगे और सिस्टम की खराबियों का खुलासा होगा।

–अतिथि संपादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार



भाग चन्द जैन मिश्रपुरा

अंतरराष्ट्रीय भक्तामर प्रभावना संघ की पहल पर विश्व शांति एवं भक्ति में निहित शक्ति के उद्देश्य से 09 अक्टूबर को प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय भक्तामर दिवस मनाया जाता है। यह महाकाव्य किसी पंथ, संप्रदाय एवं धर्म विशेष का प्रोत्साहन नहीं करता है। हालांकि प्रथम श्लोक में 'युगादौ' एवं द्वितीय श्लोक में 'प्रथमं जिनैन्द्रम्' शब्दों के उल्लेख से यह माना जाता है कि इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति इस महाकाव्य में की गई है। कदाचित इसी कारण से इसे आदिनाथ

स्तोत्र भी कहा जाता है।

इस महाकाव्य की रचना के पीछे एक रोचक कथा है। तत्कालीन मालवा प्रांत की धारा नगरी में राजा भोज का राज था। वे साहित्य, कला, विद्या के साथ संस्कृत में विशेष रुचि रखते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वानों के साथ कवि कालिदास भी थे। दरबार में कालिदास ने दिगम्बर मुनि मानतुंग के प्रति अपमान जनक शब्द कहे जो धनंजय कवि को सहन नहीं हुए एवं उन्होंने कालिदास को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। शास्त्रार्थ में धनंजय के उत्तर – प्रत्युत्तर से कालिदास निरुत्तर हो गए एवं इस लज्जा से बचने के लिए गुरु मानतुंग से शास्त्रार्थ करने हेतु राजा से निवेदन किया। राजा भोज को इस तरह के शास्त्रार्थ में विशेष रुचि थी अतः मानतुंगाचार्य को दरबार में बुलाते हेतु अपना दूत भेजा। दूत द्वारा निवेदन करने पर मुनिराज ने कहा कि हम मुनियों का राज दरबार से कोई संबंध नहीं है, यह कह कर दूत को राज दरबार में जाने से मना कर दिया। राजा ने मुनिराज के पास कई बार सेवक भेजे, लेकिन मुनिराज नहीं आए। इस पर कुपित होकर राजा ने मुनिराज को बलात दरबार में बुलाया।

मुनिराज ने उपसर्ग जानकर मौन धारण कर लिया एवं राजा के अनुरोध पर भी नहीं बोले। इस पर राजा ने क्रोधित होकर मुनिराज के हाथ पैरों में बेडियां डलवाकर उन्हें 48 कोठरियों के भीतर बंदीगृह में कैद कर ताले लगावा दिए।

आचार्य ने इस बंधन को समतापूर्वक स्वीकार कर लिया और भगवान की भक्ति में डूब गए तथा बंदीगृह में ही उन्होंने भक्तामर स्तोत्र महाकाव्य की रचना की। इस अनुपम भक्तिकाव्य की महिमा से एक – एक काव्य की रचना के साथ एक एक ताले स्वतः ही टूटते गए और सभी 48 दरवाजे खुल गए तथा मुनिराज बाहर आ गए। मुनिराज के तप एवं भक्ति के इस प्रभाव को देखकर राजा चमत्कृत हो गए। इस पर कालिदास ने मुनिराज पर उपसर्ग के प्रयोजन से कालिका देवी प्रकट की। मुनिश्री के तप के प्रभाव से प्रकट चक्रेश्वरी देवी को देखकर कालिका मुनिराजन से क्षमा मांगकर अदृश्य हो गई।अंततः मुनिश्री के प्रभाव को देखकर राजा भोज एवं कालिदास ने नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की साथ ही राजा ने मुनिवर से श्रावक



के व्रत अंगीकार किए और राज्य में जैन धर्म की अद्वितीय प्रभावना हुई।

इस काव्य की रचना में उपमाओं एवं अलंकारों की बाहुल्यता एवं प्रत्येक पंक्ति में 14 पूर्णाक्षर होना इसकी विशेषता है। यह संस्कृत भाषा में वसंततिलका छंद में है। आराध्यदेव के गुणगान में मुनिवर निष्काम भावना ही निहित थी। मुनिवर ने बंदीगृह से मुक्ति या अन्य किसी भी तरह का सहायन नहीं की थी। हम जानते हैं कि भगवान प्रत्यक्षतः कुछ नहीं देते, लेकिन भक्ति से अर्जित पुण्य से स्वहितार्थ सुख की

प्राप्ति होती है एवं वह भय से मुक्त रहता है। भक्तामर स्तोत्र का एक एक श्लोक जीवन में व्याप्त सभी तरह की कठिनाइयों में हौलिंग का कार्य करता है। श्रद्धालुजन भक्तामर स्तोत्र को असाध्य रोगों में हौलिंग धरेपी के रूप में अपना रहे है, इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी रिसर्च जारी है।

संकलन : भाग चन्द जैन मिश्रपुरा,
अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम, जयपुर

राजस्थान गैरकानूनी धर्मांतरण विधेयक : संविधान सभा की अभीप्सा साकार हो रही है

लिप किया जाता है, विधेयक 2025 की योजना के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा।

विधेयक 2025 का एक संक्षिप्त अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि कुछ कृत्यों द्वारा अवैध धर्मांतरण की पहचान की गई है। ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है जो प्राकृतिक जाति के सिद्धांत की शर्तों को पूरा करती है। पंथनिरपेक्षता को बरकरार रखा गया है जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। हिंदुधर्मियों को अन्याय से बचाने के लिए पर्याप्त समय देते हुए, कानूनी प्रक्रिया का पालन करके मनमानी के तत्वों पर उचित नियंत्रण किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, भारतीय संविधान को सातवीं अनुसूची की सूची के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की राज्य की विधायी शक्ति को बरकरार रखा है। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रचार के अधिकार में किसी भी प्रकार से धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं हो सकता।

विधेयक 2025 के बारे में गलत जानकारी फैलाना एक प्रयास है। यह अवैध धर्मांतरण गैर-जमानती और संज्ञेय है, जो कोठार है। भारत का संविधान संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है। राजस्थान राज्य अपनी बुद्धिमत्ता और विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार इस विधेयक को पारित करने के लिए सक्षम है, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करता है, इस आधार पर कि कानून और व्यवस्था स्थापित करना और बनाए रखना राज्य का संप्रभु कार्य है, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए। इसलिए, यह विधेयक भारत की राष्ट्रीय नीति के साथ संघर्ष में नहीं है विधेयक 2025 पर लगाया गया यह आरोप कि दंड अत्यधिक कठोर और अनुपातहीन है, तर्कसंगत नहीं है। अपराधिक न्यायशास्त्र श्रेणीबद्ध दंड का प्रावधान करता है, जहाँ तक सुयोग्य विधेयों पर आधारित उचित वर्गीकरण और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच संबंध

स्थापित किया जाना आवश्यक है। यह विधेयक समाज के कमजोर वर्गों जैसे नाबालिग, महिला, विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों से जुड़े अपराधों के लिए अधिक श्रेणीबद्ध और कठोर दंड का प्रावधान करता है, और न्यूनतम दंड जुर्माने के साथ प्रदान करता है। साथ ही, यह उन लोगों को रोकने के लिए भी है जो समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी हैं और भारत की इस प्राचीन भूमि की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। यह विधेयक न तो निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का।

यह स्थापित कानून है कि न्यायिक समीक्षा व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रता और लोकहित, जिसमें लोक व्यवस्था भी शामिल है, के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। विधेयक 2025 की योजना में मनमानी के तत्व को विधिवत संशोधित किया गया है। निजता का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है। इसकी सीमाएँ हैं और निजी स्थान में समलैंगिक संबंध के रूप में इसे अनुमति दे गई है। लेकिन अगर धोखाधड़ी का तत्व है, तो समलैंगिक संबंध भी कानून के तहत दंडनीय हैं। विवाह, जन्म, मृत्यु आदि का पंजीकरण कल्याणकारी समाज में योजनाओं, परियोजनाओं आदि की योजना बनाने के लिए एक मानदंड है। निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन की आड़ में इस विधेयक को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है, इसलिए ऐसे धर्मांतरण विरोधी कानून मूलतः पंथनिरपेक्षता की भावना के विरुद्ध नहीं हैं। पंथनिरपेक्षता को समझने के लिए हमें लगातार होने वाली संविधानसभा की बहसों का संदर्भ लेना होगा। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 27 दिसंबर 1948 को संविधान सभा की बहस ने पंथनिरपेक्षता के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया था। डॉ. अंबेडकर, 7 दिसंबर, 1948 को एक वाद-विवाद में अम्बेडकर ने उन धर्मों के वास्तविक चरित्र को रेखांकित किया जो भारतीय मूल के नहीं हैं। इन धर्मों के भाईचारे के दावे केवल उस विशेष धर्म के अनुयायियों तक ही सीमित हैं।

बाहरी लोगों को नीची नजर से देखा जाता है और उन्हें ईश्वरीय प्रसन्नता के योग्य नहीं माना जाता। इसलिए, पंथनिरपेक्षता की चयनात्मक, निहित और भेदभावपूर्ण व्याख्या के तहत धर्मांतरण के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।

विधेयक 2025 अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों के विपरीत नहीं है। कोई भी अंतराष्ट्रीय कानून अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देता है, जो समाज के संप्रदायिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था के विरुद्ध है।

वह संपत्ति जहाँ किसी व्यक्ति का एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन का अपराध हुआ है, जब्त कर ली जाएगी। यह जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा जाँच के बाद होता है। अवैध धर्म परिवर्तन में शामिल पाई गई संपत्ति को राज्य विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कानून द्वारा जब्त करने की अनुमति दी गई है। उक्त संपत्ति को विधेयक 2025 में विस्तार से उल्लिखित समय-सीमा और प्रक्रिया के अनुसार ध्वस्त किया जा सकता है।

आपराधिक न्यायशास्त्र में निर्दोषता साबित करने के लिए अभियुक्त पर सबूत और अपराध का भार डालना कोई नई बात नहीं है। पीसीपीएनडीटी, एनडीपीएस, पॉक्सो, निगोशिएबल इस्टीमेट एक्ट, देहेज मृत्यु, बीमा कानून, भ्रष्टाचार विरोधी कानून जैसे मौजूदा कानून ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ सबूत का भार अभियुक्त पर होता है। जब विशेष मुद्दों के समाधान के लिए कोई विशेष कानून होता है, तो कानून को योगी साबित होने तक निर्दोषता के सामान्य सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए विधेयक 2025 अपराधिक न्यायशास्त्र के साथ विरोधाभासी नहीं है।

अग्रिम सूचना देना भारत के संविधान के अनुच्छेद, 20(3) का उल्लंघन नहीं है। जो कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे निर्धारित प्रारूप में पदनाम प्राधिकारी को कम से कम 90 दिन पहले घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। इसी तरह, धर्म परिवर्तक और धार्मिक पुजारी जो धर्म

परिवर्तन समारोह करते हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप में पदनामित प्राधिकारी को दो महीने की अग्रिम सूचना देनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट उपर्युक्त सूचना प्राप्त करने के बाद आपत्तियाँ मांगने के लिए सार्वजनिक सूचना में ऐसी सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित करवाएंगे। आपत्ति के 60 दिनों के बाद, यदि आवश्यक हो, तो आपत्ति के 10 दिनों के भीतर जांच की जाएगी। इस प्रावधान का उल्लंघन एक अवैध कृत्य माना जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद, धर्म परिवर्तन के दिनों से 72 घंटे के भीतर, धर्मांतरित व्यक्ति को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें परिवर्तित व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है।व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा के लिए, परिवर्तित होने के बाद, घोषणा, पुष्टिकरण और रजिस्टर से उद्धरण की प्रमाणित प्रतियाँ केवल उन पक्षों को प्रदान की जाएंगी जिन्होंने घोषणा की थी, इसलिए, यह प्रावधान गोपनीयता के अधिकार को रखता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है।

विधेयक 2025 सभी व्यक्तियों को अपने मूल धर्म, यानी पूर्वज/पैतृक धर्म में धर्मांतरण का समान अवसर प्रदान करता है। यह किसी भी दृष्टि से भेदभावपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। चूंकि इसमें धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, इसलिए यह समानता, तर्कसंगतता और निष्पक्षता की संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूचना का अवसर, सार्वजनिक जांच, जांच में उचित समय, गोपनीयता की सुरक्षा, घोषणा और पुष्टि को ध्यान में रखते हुए विधेयक 2025, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में निहित अनुच्छेद 14, 20, 21 और 25 की भावना और अक्षर को कायम रखते हुए, तर्कसंगतता, पारदर्शिता, समानता की संवैधानिक योजना को पारित करता है।

–सूर्यप्रताप सिंह राजावात,
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय

भामाशाह ने बेड़च नदी के पुल की मरम्मत करवाई

भीलवाड़ा, (निसं)। सरकारी तंत्र और अधिकारियों की निष्क्रियता के बीच समाज के लोगों ने यह दिखा दिया कि अगर इच्छाशक्ति हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बरूदनी-बड़लियास मार्ग पर बहने वाली बेड़च नदी पर बने पुराने पुल की हालत जर्जर हो चुकी थी। आए दिन इस पुल पर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनायें

सामने आ रही थी। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को पुल की मरम्मत के लिए अवगत कराया, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सिंगोली बरूदनी क्षेत्र के समाजसेवी और भामाशाह धनश्याम राठी आगे आए और उन्होंने इस समस्या को खुद सुलझाने की ठानी।

राठी ने अपने खर्च से पुल पर बने खड्डों की मरम्मत करवाने का निर्णय लिया। मंगलवार को सुबह वे स्वयं मजदूरों और राजमिस्त्री के साथ मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य की शुरुआत की। सुबह नौ बजे से दोपहर बारह बजे तक चले इस अभियान में पुल पर बने गहरे खड्डों को सीमेंट-कंक्रीट से भरा गया। राठी खुद मरम्मत कार्य की निगरानी

करते रहे और मजदूरों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते रहे।

मरम्मत कार्य को देखकर आसपास के ग्रामीण भी प्रेरित हुए और कई लोगों ने श्रमदान में भाग लिया। इस अवसर पर कोटड़ी के पूर्व प्रधान विजयसिंह के मार्गदर्शन में बड़लियास के पूर्व सरपंच सत्यनारायण काभरा, मयूर मिस्त्री, कालू लाल जायसवाल

भी मौके पर पहुंचे और श्रमदान किया। इन्हें देखकर नानुराम गंवारिया, कालू लाल पालीवाल, ओमप्रकाश शर्मा, राजेश जायसवाल, और शंकर खटीक भी आए और पुल की मरम्मत में हाथ बंटाया। तीन घंटे की मेहनत में पुल के सभी प्रमुख खड्ड भर दिए गए और पुल फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित बन गया।



पंडित अनिल शर्मा

मेघ, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरु-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-कुम्भ राशि में। आज यमघट योग रात्रि 8:03 से सूर्योदय तक है। भद्रा दिन 12:39 से रात्रि 10:55 तक रहेगी। आज शुक्र कन्या में दिन 10:49 पर प्रवेश करेगा। श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:54 तक, चर 10:47 से 2:14 तक, लाभ-अमृत 2:14 से 3:08 तक, शुभ 4:35 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:27, सूर्यास्त 6:02

राशिफल

गुरुवार 9 अक्टूबर, 2025

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत 2082, भर्गवी नक्षत्र रात्रि 8:03 तक, वज्र योग रात्रि 9:32 तक, वणिज करण दिन 12:39 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 1:23 से वृष राशि में संज्ञात करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मेघ, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरु-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-कुम्भ राशि में।

आज यमघट योग रात्रि 8:03 से सूर्योदय तक है। भद्रा दिन 12:39 से रात्रि 10:55 तक रहेगी। आज शुक्र कन्या में दिन 10:49 पर प्रवेश करेगा। श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:54 तक, चर 10:47 से 2:14 तक, लाभ-अमृत 2:14 से 3:08 तक, शुभ 4:35 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:27, सूर्यास्त 6:02

मेघ मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। मन:स्थिति ठीक रहेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

तुला परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृष घर-गृहस्थी के खर्चों में आवश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मित्रों/रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है।

वृश्चिक स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

मिथुन आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

धनु परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। आज खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कर्क व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियाँ दूर होने लगेंगी। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित फसलता मिलेगी।

मकर परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक अडचन दूर होने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

कुंभ आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे।

कन्या चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में दुर्घटना का भय बना रहेगा।

मीन घर-परिवार में सुख-सुविधाएँ बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसे माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।